नईदुनिया

संपादकीय

मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का हक

देश की शीर्ष अदालत ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में नई पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस सिद्धांत की व्याख्या की कि भरण-पोषण किसी तरह का दान नहीं बल्कि सभी विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। अब चाहे महिला किसी भी धर्म की क्यों न हो। दरअसल, अदालत का फैसला तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद की अपील के जवाब में आया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का फैसला दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा। अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा महिला केवल मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ही भरण-पोषण की मांग कर सकती है। शीर्ष अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि धारा 125 देश की सभी महिलाओं पर लागू एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला ऐतिहासिक शाह बानो प्रकरण की याद ताजा करता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने धारा 125 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह फैसला 1986 के उस अधिनियम के बावजूद था, जिसमें इस अधिकार को सीमित करने के प्रावधान किये गये थे। बहरहाल, अदालत का हालिया फैसला धारा 125 की स्थायी स्वीकार्यता को सिद्ध करता है। यह भारतीय न्यायतंत्र की खूबसूरती ही है कि अधिनियम के विकास और उसके बाद के न्यायिक उदाहरणों ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों का उत्तरोतर विस्तार ही किया है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत का फैसला महिलाओं को उनके न्यायोचित अधिकार दिलाने तथा संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

बहरहाल, अदालत ने इस फैसले के जरिये यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जब हम 21वीं सदी में सर्वांगीण विकास व सभ्यता के समृद्ध होने का दावा करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी हमारी सोच प्रगतिशील होनी चाहिए। उनके प्रति संकीर्ण मानसिकता के चलते ही महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। अदालत का नवीनतम निर्णय विकास क्रम के अनुरूप यह सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी धर्म की महिला अपने अधिकारों से वंचित न रहे। साथ ही यह भी कि विवाह विच्छेदन के बाद भी महिला को भरण-पोषण के लिये आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। नि:संदेह, अदालत ने भारत में लैंगिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह फैसला न केवल संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखता है बल्कि मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है। साथ ही यह फैसला भविष्य के मामलों के लिये भी एक मिसाल स्थापित करता है। इस फैसले का मानवीय पक्ष यह भी है कि यदि तलाकशुदा महिला का आय का कोई नियमित जरिया नहीं है तो भरण-पोषण के लिये आर्थिक मदद न मिल पाने से उसके जीवन-यापन का संकट बड़ा हो जाता है। विडंबना यह है कि भारत में मायके पक्ष के सक्षम होने के बावजूद तलाकशुदा बेटी को साथ रखने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जिससे तलाकशुदा बेटियों का जीवन-यापन दुष्कर हो जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में यह फैसला एक नई रोशनी बनकर आया है। निस्संदेह, फैसला स्वागतयोग्य है और इसके दूरगामी गहरे निहितार्थ भी हैं। पिछली राजग सरकार के दौरान बने तीन तलाक कानून ने भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया था। यह फैसला देश की सोच में आए बदलाव का भी प्रतीक है। करीब चार दशक पहले शाह बानो केस में कोर्ट के ऐसे ही प्रगतिशील फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था। जिसके बाद देश में ध्रुवीकरण की राजनीति को बल मिला था। निस्संदेह, चार दशक बाद अब भारतीय समाज में लैंगिक समानता को लेकर सोच में व्यापक बदलाव आया है।

ट्रंप पर हमला और मोदी-राहुल कनेक्शन

दृष्टिकोण

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

अमेरिका में सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों को निशाना बनाकर राजनीतिक हिंसा का इतिहास पुराना है। अब तक चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप जब पेसिंलवेनिया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी कम से कम पांच राउंड गोलियां चलीं। भीड़ के शोर के बीच ट्रंप अपना दाहिना कान ढंकते हुए जमीन पर लेट गए। फिर कुछ मिनट बाद सुरक्षाकर्मियों की घेराबंदी में ट्रंप खड़े हुए तो उनके दाहिने गाल पर खून की धार बहती दिख रही थी। ट्रंप खुशकिस्मत हैं जो बच गए।लोकतांत्रिक देश अमेरिका की तरह ही भारत में भी राजनीतिक हिंसा का इतिहास पुराना है। भारत ने भी समय-समय पर राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए अनेक श्रेष्ठ, योग्य और अनुभवी लोगों को खोया है। भारत को स्वाधीन हुए अभी छह महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि महात्मा गांधी की हत्या ने दुनिया को हिला दिया था।

इस एक हत्या के बाद जैसे भारत में भूचाल आ गया, उसके बाद कई लोग राजनीतिक रूप से शिकार बनाए गए। जिसकी की सूची बहुत लम्बी है। फिर भारत जब पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में करारी शिकस्त देकर दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा था, तभी वह घटना घटी जिसने एक बार संपूर्ण देश में शोक की लहर दौड़ा दी थी। दरअसल, पाकिस्तान सेना ने भारत के चंबा सेक्टर पर हमला बोला, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को पंजाब से मोर्चा खोलने का आदेश दे दिया। परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना ने सितंबर 1965 में लौहार तक के क्षेत्र को अपने आधीन कर लिया था, ऐसे में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के पास गुहार लगाने पहुंचा, जिसके बाद 23 सितंबर 1965 को यूएन के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप भारत ने युद्धविराम की घोषणा कर दी थी और यहीं से एक नई कहानी ताशकंद की शुरुआत होती है। सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्सेई कोजिगिन ने दोनों देशों के बीच समझौते की

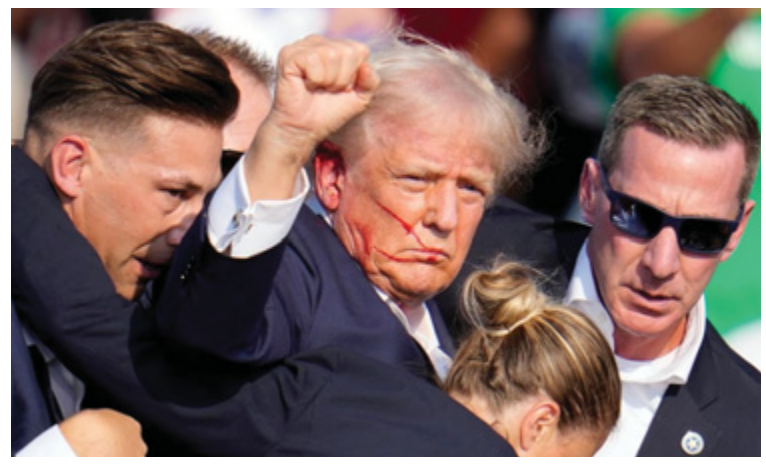

पेशकश की थी। उन्हीं के कहने पर 10 जनवरी 1966 का दिन ताशकंद में समझौते के लिए तय किया गया और इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी की रात में रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया। उजबेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई उनकी मौत को लेकर कहा जाता है कि हार्ट अटैक से नहीं उन्हें जहर दिया गया था। उनकी मौत का रहस्य अभी भी बना हुआ है। किंतु शास्त्री की मौत ने भारत को अंदर तक हिला दिया था।

इस मौत के बाद वस्तुत: स्वाधीन भारत में हुई राजनीतिक हत्याओं में तीसरा सबसे बड़ा नाम इंदिरा गांधी का है। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लूस्टार चलाया, जिसमें कि आतंक का नेतृत्व कर रहा भिंडरावाला मारा गया, लेकिन उसकी परिणति यह रही कि इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री को 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री निवास में उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों ने गोलियां से छलनी कर दिया। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी भी हत्या के शिकार हुए, उनकी हत्या के पीछे लिट्टे का हाथ होना सामने आया । इन अहम हत्याओं के साथ ही देश में कई चर्चित राजनीतिक हत्याएं होना समय-समय पर सामने आता रहा है, किंतु बात यहां जो शुरू हुई है, ट्रंप पर हुए हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी- नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कनेक्शन की, तो इस बात की गंभीरता ऊपर वर्णित राजनीतिक हत्याओं और उसके लिए उकसानेवाले कारणों में खोजा जाना वर्तमान में अति आवश्यक हो गया है। वस्तुत: यह खोज हर उस स्तर पर आवश्यक है आखिर कैसे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति की सुरक्षा में चूक की जा सकती है। सभी को वह दृश्य याद आता है, जिसके कि फुटेज तक मीडिया ने दिखाए कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा को पंजाब में हल्के में लिया गया था। आखिर क्यों राहुल गांधी जो स्वयं आज एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आम जनता को हिंसा करने के लिए बार-बार उकसा रहे हैं।

ऐसे में उनसे यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि यदि कोई अनहोनी होती है, तो क्या वे इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे वस्तुत: भारतीय जनता पार्टी के सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्रंप पर हमले की गांधी द्वारा निंदा किए जाने के बाद एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आज सभी का ध्यान इस ओर दिलाया है, यह अच्छी बात है कि मालवीय ने इस मामले में सभी को पहले से ही आगाह किया है, यहां इनके कहे शब्दों की गंभीरता अब हम सभी को समझनी होगी। उन्होंने कहा, तीसरी बार फेल हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को अक्सर प्रोत्साहित किया है और उन्हें जायज ठहराया है। भारत कैसे भूल सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया था, जब उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था।

अमित मालवीय ने राहुल गांधी के पूर्व के कुछ बयानों को जोड़कर तैयार किए गए एक वीडियो को साझा करते हुए यह भी बताया है कि राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ तानाशाह जैसी बयानबाजी की है और ट्रंप के आलोचक डेमोक्रेट नेता और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यही करते हैं। यानी कि जब नेता आम जनता को हिंसा के लिए उकसाते हैं, तो उसकी परिणति इसी प्रकार ट्रंप पर हुए हमले के रूप में होती है या भारत समेत दुनिया के किसी भी हिस्से में हुई राजनीतिक हत्या और हिंसा के रूप में सामने आती है। अमेरिका में भी आज यही सामने आ रहा है कि हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप के कई समर्थकों ने यह महसूस किया है और वे यह खुलकर बोल भी रहे हैं कि उन (ट्रंप) के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उन्हें (ट्रम्प को) बदनाम किए जाने से उनके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा हो गया है और यह नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसका कि परिणाम गोलीबारी के रूप में अभी सब के सामने आया है। ट्रंप के विरोधियों (आलोचकों) ने तर्क दिया है कि लोकतंत्र (ट्रंप की वजह से) खतरे में है। यही भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ होता हुआ दिखाई देता है, यहां भी विपक्ष मोदी के खिलाफ संविधान खतरे में है का नारा लगाकर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने में लगा है। जिसके कि राहुल गांधी अगुवा हैं। अमित मालवीय के शब्दों में कहें तो अमेरिका में नस्ल की तरह जाति को भारतीय समाज में दरार पैदा करने के लिए हथियार बनाया गया। विरोधियों को खलनायक की तरह पेश करना और उन्हें तानाशाह कहना भी संयोग नहीं है।

भारतीय परम्पराओं के अनुपालन से देश बढ़ रहा आगे

नजरिया

-प्रहलाद सबनानी

भारत की कुटुंब व्यवस्था अपने आप में एक अनूठी कुटुंब व्यवस्था है। भारत के संयुक्त परिवार विश्व के लिए आश्चर्य का विषय रहे हैं। इन दिनों संयुक्त परिवार विघटित अवश्य होते जा रहे हैं,लेकिन बावजूद उसके आपातकाल में एक दूसरे के लिए सबके एकत्र होने की जो जिजीविषा उन सबके भीतर है वह भारत में कुटुंब व्यवस्था का अनूठा स्वरूप है, तथा यह स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम करता है।

भारत जो किसी वक्त में सोने की चिड़िया रहा है जिसका किसी वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस भारत के गुलाम होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था को मुगलों ने एवं अंग्रेजों ने तहस-नहस किया है। भारत का सनातन चिंतन जितना अधिक शक्तिशाली था गुलामी के उस दौर में उस पर किए गए आक्रमण उसे कमजोर बनाने में कामयाब रहे। परंतु, अब समय आ गया है कि भारत के प्राचीन आर्थिक चिंतन को गंभीरता के साथ देखते हुए वर्तमान आर्थिक विकास की दृष्टि को उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए तभी जाकर आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत के वैभवकाल को पुन: प्राप्त किया जा सकेगा।

भारत में प्राचीन ऋषियों और मनीषियों की परंपरा एक गृहस्थ परंपरा रही है और उस गृहस्थ परंपरा में आध्यात्म के साथ-साथ सामाजिक,राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन भी जुड़ा रहा है। अपने राज्य के ऋषियों के जीवन यापन की चिंता जहां राजा की प्राथमिकता में रहता था वहीं राजा को राज्य चलाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने का सांस्कृतिक कार्य उन ऋषि-मुनियों द्वारा किया जाता था। इसलिए उन मनीषियों का चिंतन आर्थिक दिशा में भी सदैव बना रहता था। राजा अपने राज्य का विस्तार करने के साथ-साथ उसे आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध कैसे बनाएं इसके बारे में ऋषि-मुनियों के साथ बैठकर ही राज दरबार में चिंतन होता था और राज्य आर्थिक रूप से सशक्त बन जाते थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।

प्राचीन भारत में धार्मिक आयोजनों एवं धार्मिक पर्यटन का भारत के आर्थिक विकास पर पूर्ण प्रभाव रहा है। प्राचीन भारत में धार्मिक आयोजनों से अर्थव्यवस्था को बल मिलता रहा है इसलिए उस कालखंड में धार्मिक आयोजन निरंतर होते रहे हैं। भारत की ऋषि परंपरा ने जन सामान्य को उन सबके साथ जोड़ कर रखा था। त्यौहारों की निरंतरता और उन्हें मनाए जाने का उत्साह भारत की तत्कालीन अर्थव्यवस्था को गति देता रहा है। आज के वक्त में भी धार्मिक पर्यटन के चलते भारतीय पर्यटन उद्योग में रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा भी पिछले 10 वर्षों में भारत में विभिन्न तीर्थस्थलों को विकसित किया जा रहा है। अभी तक जो तीर्थस्थल विकसित हो चुके हैं,वहां का पर्यटन एकदम से कई गुना बढ़ गया है। वहां की आर्थिक समृद्धि बढ़ गई है। वहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया है। वहां संपत्तियों के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए इस दिशा में सरकार अब आगे और कार्य करने जा रही है तथा कई नवीन धार्मिक कारीडोर बनाने जा रही है,क्योंकि इससे रोजगार के लाखों नए अवसर उत्पन्न होंगे।

भारत की कुटुंब व्यवस्था अपने आप में एक अनूठी कुटुंब व्यवस्था है। भारत के संयुक्त परिवार विश्व के लिए आश्चर्य का विषय रहे हैं। इन दिनों संयुक्त परिवार विघटित अवश्य होते जा रहे हैं,लेकिन बावजूद उसके आपातकाल में एक दूसरे के लिए सबके एकत्र होने की जो जिजीविषा उन सबके भीतर है वह भारत में कुटुंब व्यवस्था का अनूठा स्वरूप है, तथा यह स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। एक परिवार में दो हाथ कमाने जाते हों और वहीं दस हाथ कमाने जाते हों, दोनों बातों का फर्क होता है। इसलिए कुटुंब व्यवस्था में एक दूसरे के लिए आपस में खड़े होने का जो व्यवहार होता है,वह व्यवहार आर्थिक चिंतन के साथ भी जुड़ कर परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है।

भारत में प्राचीन काल से पर्यावरण को पर्याप्त महत्व दिया जाता रहा है। देश में नदियां शुद्ध रहती थी वृक्ष घने जंगलों के रूप में रहते थे और पूरा पर्यावरण शुद्ध रहता था। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नदियों को,वृक्षों को,धरती को पूजा जाता है। पूरे पर्यावरण से परिवार का जुड़ाव धार्मिक रूप से रहता है। बहुत सारे व्रत और त्यौहार पर्यावरण से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए सनातन काल से भारत में पर्यावरण की चिंता रही है। जैविक विविधता ने भी भारत के सनातन काल को समृद्ध किया। पर्यावरण संरक्षण को उस समय में नैतिक कर्तव्य माना गया है। बाद में जब मुगलों ने भारत में शासन किया और हिंदुओं का धर्मांतरण किया तो बहुत सारी परंपराएं भी खंडित होने लगी। सनातन काल में जिस गौ माता को पूजा जाता था मुस्लिम उस गौ माता को खाने लगे। मुस्लिम शासन काल भारत के पतन और विखंडन का समय था। उनके बाद जब इस देश में अंग्रेज आ गए तो उनकी निगाह में भारतीय अपरिपक्व और मूर्ख रहे इन दोनों के समय में, मुगलों ने और अंग्रेजों न भारत को दोनों हाथों से लूटकर खाली कर दिया। जो भारतीय अर्थव्यवस्था कभी विश्व की अर्थव्यवस्था का 33 प्रतिशत हिस्सा थी वह बहुत नीचे जा चुकी थी। पर्यावरण बिखरने लगा। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाया गया। उसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया। इस सब के पीछे भारत को ज्ञान के स्तर पर समाप्त करने की साजिश काम कर रही थी।

मुस्लिम शासक हिंदुओं के धर्मांतरण पर, हिंदुओं को मारने पर और उनकी संपत्ति हड़पने पर काम कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ब्राह्मणों को मारकर रोज सवा मन जनेऊ जलाता था। मंदिरों को नष्ट कर उन पर मस्जिदें बना दी गई। दक्षिण ने अपने आपको इस मुस्लिम आक्रमण से बहुत बचाया और इसीलिए भारत के दक्षिण भाग में आज भी समृद्ध मंदिर हैं,जो उस कालखंड के गौरव की प्रस्तुति के रूप में हमारे सामने खड़े हुए हैं। इसी कालखंड में भारत का भक्ति काल जरूर समृद्ध हुआ और उसने भारत के निवासियों को मानसिक ताकत प्रदान की। तुलसीदास की भक्ति के सामने अकबर जैसा आदमी डर गया और झुक गया।

आजकल

आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हो रही

विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गुरुवार को भारत सरकार की ओर से जारी किए गए ये आंकड़े कई लिहाज से उत्साहवर्धक कहे जाएंगे कि देश के 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल (2.1) से नीचे लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। टीएफआर का आशय किसी महिला द्वारा पूरे जीवन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या से है और रिप्लेसमेंट लेवल वह स्तर है जिस पर किसी खास समाज या क्षेत्र की आबादी संतुलित रहती है। यानी किसी देश में टीएफआर के रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंचने का मतलब यह माना जाता है कि अब जनसंख्या में बढ़ोतरी को चुनौती के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। भारत के संदर्भ में, यह देखना दिलचस्प है कि जनसंख्या वृद्धि को एक चुनौती के रूप में लेते हुए कैसे हम धीरे-धीरे उस स्थिति में आ गए जहां हमारे लिए चुनौती जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की उतनी नहीं, जितनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने की है। खास बात यह कि हम एक लोकतांत्रिक समाज के तौर पर अपने रास्ते चलते हुए यहां पहुंचे हैं। हमें चीन के उन बाध्यकारी तरीकों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ी जो एक समय काफी आकर्षक माने जाते थे, पर आखिरकार बड़े हानिकारक साबित हुए।

हर साल की तरह इस बार भी विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी बाकायदा आंकड़े जारी कर बताया गया है कि आने वाले दशकों में भारत की आबादी का अन्य देशों के मुकाबले अनुपात क्या रहेगा। इन गणनाओं की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध इसलिए भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि भारत में जनगणना के वास्तविक आंकड़े करीब डेढ़ दशक पुराने हैं। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी जो अभी तक नहीं हुई है।

टीएफआर के इन आंकड़ों की खासियत यह भी है कि इसमें कोई चौंकाने वाला ट्रेंड नहीं बल्कि एक तरह की निरंतरता दिखती है। 1950 में टीएफआर का जो आंकड़ा 6.18 पर था, वह 1990 में 4.6 पर आया और 2021 में 1.91 पर आ गया। ये आंकड़े न केवल एक राष्ट्र के रूप में हमारी हाल के दशकों में हुई ग्रोथ की पुष्टि करते हैं बल्कि परिवार और समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति भी बयान करते हैं।

समानता के बगैर लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं...

अरुण कुमार दीक्षित

भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से अधिक पुरानी है। भारत में राजतंत्र और गणतंत्र शासन व्यवस्था प्राचीन हैं। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए समाज में सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने राजा के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत बताया है। कौटिल्य ने राज्य की संपूर्ण संस्थाओं को मनुष्य के आध्यात्मिक सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण का साधन बताया है। सुझाव दिया है कि राजा को आग, बाढ़, महामारी, अकाल और भूकंप जैसी दैवीय विपत्तियों का निवारण करना चाहिए। राजा को चाहिए कि प्रजा के प्रति पुत्रवत आचरण करे। राज्य में अपराधियों के लिए दंड, बाहरी शत्रुओं से रक्षा, राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं न्याय की रक्षा प्रमुख बताया है।

18वीं लोकसभा का गठन कुछ दिन पूर्व हुआ है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिकगठबंधन तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पिछले दिनों पूरे देश के लोगों ने संचार माध्यमों के जरिए देखी। संसद के भीतर के दृश्य काफी निराशाजनक रहे। प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार आचरण करे। उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को (एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों की ,सामाजिक,आर्थिक ,राजनीतिक न्याय, विचार ,अभिव्यक्ति, विश्वास,धर्म और स्वतंत्रता प्रतिष्ठा के अवसर की समता राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं ।

भारत के संविधान के अनुसार सदन के सदस्यों का आचरण होना ही मर्यादा है। बीते कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। भारी भरकम धनराशि खर्च कर चलने वाले लोकसभा सदन में हंगामा है। शोर शराबा की स्थिति बढ़ी है। यहां तक की शपथ ग्रहण के अवसर पर विभिन्न सांसदों ने शपथ की निर्धारित शब्दावली के अतिरिक्त विशेष विचार धारा से जुड़े हुए नारे लगाए। जो संविधान सम्मत नहीं कहे जा सकते। इस पर सदन को विचार करना होगा। संसद का सदन सुचारु रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर होती है। मगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सकारात्मक चर्चा का अभाव देखा जा रहा है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना शुभ माना जाता है। होना यह चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर राष्ट्र के लोगों को समता समृद्धि के अवसर बगैर दलीय,जातीय,पंथिक पूर्वाग्रह के उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें। राष्ट्र को शक्तिशाली समृद्धशाली बनाने में कोताही न बरतें ।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा के लोगों को लक्ष्य कर ऐसी टिप्पणी की है। संपूर्ण हिंदुओं पर नहीं की। लोकसभा भारत का हृदय स्थल है। किसी भी दल के लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भारत को आहत करने वाली टिप्पणियों को क्या जायज ठहराया जा सकता है ? उत्तर होगा नहीं। मगर ऐसा प्राय: होता आ रहा है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश के लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एक अन्य देश का नाम लेकर लोकसभा सदन में जिंदाबाद कहा गया। यह और शर्मनाक घटना है और सीधे-सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला है। लोकसभा के भीतर और बाहर कुछ भी बोलने के विरुद्ध आचार संहिता को कठोर बनाया जाना चाहिए ,अन्यथा की स्थिति में यह भारत विरोधी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा से पीछे हटना भी देश के लोग देख रहे हैं। यह आरोप विपक्ष पर सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगा रहा है। संविधान विशेषज्ञों द्वारा इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। देश की जनता जिन महानुभावों को अपने जनप्रतिनिधि बनाकर लोकसभा में भेजा है। वह भारत का स्व नहीं देख पा रहे हैं। जो समाज राष्ट्र अपना स्व भूल जाता है, वहां खतरनाक स्थिति हो जाती है।

वह मात्र चुनाव में सफल होने को ही बड़ा अधिकार और कर्तव्य मान रहे हैं जबकि संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्य भी साथ-साथ अधिष्ठापित हैं। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा कर्तव्य अधिकार जनता के प्रति मजबूत जवाबदेही, स्वास्थ्य ,शिक्षा,जीवन रक्षा ,राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिक शिक्षा,पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, नदियां,पहाड़,जंगल,पौराणिक धार्मिक पंथिक आस्थाओं एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के उपाय पर विचार करें।